न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 41/2023

जीसीएमएस नम्बर :– 2023/329

अनवान

1. कौशल आत्मज चन्द्रशेखर सनाढ्य निवासी राजसंमद, जिला राजसमंद
2. नारायणलाल आत्मज उंकारलाल सालवी निवासी प्रतापपुरा, कांकरोली जिला राजसमंद

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. महेन्द्रसिंह चुण्डावत – प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 8/1/2026

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम कोट, पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के हल्के प्रार्थी कौशल व प्रार्थी नारायणलाल के खातेदारी अधिकारी एवं कब्जे की निम्न आरायिजात स्थित :–

क.स.	खातेदार का नाम	आराजी संख्या	श्रकबा	वि.वि.
1	कोशल	2575	0.65	
2	नारायणलाल	2570	1.08	

प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 तक की प्रस्तुत की है।

2. उक्त नम्बर 2575 के साबिक आराजी संख्या 1120/1 रकबा 5 बीघा व आराजी संख्या 2570 के साबिक आराजी संख्या 1120/2 रकबा 3 बीघा दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में साबिक जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल व साबिक नक्शा साथ प्रस्तुत है।

3. भू प्रबन्ध अधिकारी एवं कर्मचारियो को साबिक रेकार्ड एवं साबिक नक्शे के अनुरूप ही नवीन रेकार्ड व नक्शा कायम करना होता है। उक्त कर्मचारियो को राजस्व रेकार्ड में फेरबदल करने का कोई अधिकार नही होते हुए भी उन्हाने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त साविक आराजी संख्या 1120/1 व 1120/2 के मध्य कोई बिनालाम मंगरी नही होते हुए भी दोनो आराजी संख्या 2575 व 2570 के मध्य बिलानाम मंगरी रकबा 0.13 है0 है0 नक्शे में गलत फीट कर दिया है। उक्त दोनो आराजियात के मध्य करीब 0.02–0.03 है0 पर निशानात है दोनो आराजी के दक्षिण से उत्तर तक लगातार मंगरी कताई नही थी व न मौके पर है। उक्त हाल नक्शे में उक्त मंगरी रकवा 0.13 है0 को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज कर नक्शा फीट कर दिया है इसलिए 0.10 है0 जमीन उक्त नम्बर की नक्शे से हटाई जाकर उक्त दोनो आराजियात के दक्षिण में स्थित नाला की आराजी साबिक न. 132 हाल न. 2590 में दोनो आराजियात मे से कम की जाकर नाले की ओर फीट कराई जाना आवश्यक हो गया है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

4. अतः सादर प्रार्थना है कि वादपत्र की कलम संख्या 3 में अंकितानुसार साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शे में दुरस्ती कराये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।
5. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया जिसकी पालना में में विपक्षी तहसीलदार रायपुर द्वारा जांच रिर्पोट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।
6. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब व मौका रिपोट में अंकन किया कि ग्राम कोट के खसरा संख्या 2575 रकबा 0.65 है0 किस्म हकत।।। कोशल पिता चन्द्रशेखर सनाढ्य एवं खसरा संख्या 2570 रकबा 1.08 है0 किस्म हकत।।। भूमि नारायणलाल पिता उकांरलाल सालवी के नाम दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थना पत्र अंकित बिन्दु संख्या 1 के कथन अनुसार स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2, 3 को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी स्वयं सिद्व करे। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4, 5, 6 न्यायालय से सम्बधित है। प्रार्थी उक्त प्रकरण में नक्शा दुरस्ती करवाना चाहता है जिसे प्रार्थी स्वंय सिद्व करे अतः नक्शा दुरस्ती प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 में श्रवण योग्य नही है।
7. प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि हाल आराजी संख्या 2575 के साबिक आराजी संख्या 1120/2 से बने है। हाल आराजी संख्या 2570 साबिक आराजी संख्या 1120/1 से बने है। साबिक नक्शे में 2 से 3 एयर की लाईन थी उसमें 13 एयर लाईन बिलानाम फिट कर दी गइ। साबिक नक्शे के अनुसार दुरस्ती की जावे।
8. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से विचार किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक नक्शा राजस्व ग्राम कोट के अवलोकन से पाया कि साबिक आराजी संख्या 1120/1 व 1120/2 के बीच साबिक आराजी संख्या 1120 का भाग छुटा हुआ है। तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट में संलग्न हाल नक्शे तथा साबिक नक्शे में किसी प्रकार की तफावत प्रार्थीगण द्वारा साबित नही की गई है। साबिक नक्शे की प्रति साथ संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटी नही हुई है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में केवल लिपिकीय त्रुटी के प्रकरणो का निर्णय किया जाता है परन्तु इस प्रकरण में कोई लिपिकीय त्रुटी नही होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::– आदेश –::

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के भलीभांति सावित न होने से खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 8/1/2026 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा